10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

1. धनीराम तनय पन्नालाल रावत (आदिवासी)
2. पन्ना तनय मन्था रावत आदिवासी
3. श्रीमति रजनी पुत्री इमरत रावत
4. श्रीमति रानी पत्नी स्व. इमरत

चारो निवासी ग्राम लखनपुर
तह. राहतगढ़ जिला सागर म0प्र0

नि. 859-II/16

.........आवेदक

श्री अजय श्रीवास्तव (एड) द्वारा आज दि. 14/03/16 को प्रस्तुत

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन

.............अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म०प्र० भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 137/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 03–03–16 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, ग्राम लखनपुर तह. राहतगढ़ जिला–सागर में आवेदकगण में से धनीराम के नाम स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकवा 0.30 हे0 भूमि एवं ख.नं. 349 रकवा 0.80 हे0 कुल रकवा 1.10 हे0 एवं पन्ना के नाम से ख.नं. 354 रकवा 0.42 हे0 ख.नं. 357 रकवा 0.96 हे0 ख.नं. 359 रकवा 0.53 हे0, कुल रकवा 1.91 हे0 एवं श्रीमति रजनी एवं रानी के नाम ख.नं. 345 रकवा 0.06 हे0 ख.नं. 347 रकवा 1.25 हे0 कुल रकवा 1.31 हे. जमीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें से पन्नालाल द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से वर्ष 1988 एवं 80 में भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। तथा शेष भूमि उनके मालकाना हक की खानदानी भूमि है जो पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है जिसके विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था जो निरसत कर दिया गया जिसकी अपील अपर आयुक्त सागर द्वारा भी निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

3. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि को काबिल कास्त बनाने के लिए बहुत श्रमधन खर्च किया परंतु वह काबिल कास्त नहीं बन पायी इसी मध्य आवेदक पन्ना

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582–244808

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 859 II/16 .... जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.3.16	1— आवेदक की ओर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव अनावेदक की ओर से शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों को प्रस्तुत आवेदन पर सुना गया। 2— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र.क्र. 137/अ—21/2015—16 में पारित आदेश दि.03.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। इसमें आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति का आवेदन कलेक्टर सागर द्वारा निरस्त किया गया है। 3— आवेदक के विद्वान अविक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकगण धनीराम के नाम स्थित भूमि खसरा नंबर 348 रकवा 0.30 हे0 भूमि एवं ख.नं. 349 रकवा 0.80 हे0 कुल रकवा 1.10 हे0 एवं पन्ना के नाम से ख.नं. 354 रकवा 0.42 हे0 ख.नं. 357 रकवा 0.96 हे0 ख.नं. 359 रकवा 0.53 हे0, कुल रकवा 1.91 हे0 एवं श्रीमति रजनी एवं रानी के नाम ख.नं. 345 रकवा 0.06 हे0 ख.नं. 347 रकवा 1.25 हे0 कुल रकवा 1.31 हे. जमीन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आवेदक पन्नालाल एवं उसकी पत्नी वृद्ध है जिसके इलाज हेतु उसे पैसे की आश्यकता है इस कारण सद्भावनावश आवेदक द्वारा कुल भूमि में से 3.1हे0 भूमि के अुनमति बावत् आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विकय की अनुमति हेतु जो आवेदन पत्र दिया गया था वह पत्नि की बीमारी हेतु राशि की व्यवस्था हेतु प्रस्तुत किया था तथा विधिवत् निष्पादित इकरारनामा के तहत उचित प्रतिफल प्राप्त करते हुये अनुमति चाही थी वादग्रस्त भूमि पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है खानदानी भूमि है तथा वर्ष 1980 एवं 1988 में आवेदक द्वारा स्वयं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था इस कारण उक्त आधार पर पर उनके द्वारा	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रश्नाधीन भूमि की अनुमति दिया जाना न्याय संगत बताते हुये निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया है। 4— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है खानदानी भूमि है आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इन्कार किया है कि आवेदक के पास शेष भूमि नहीं रहेगी अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश में की है परंतु चूंकि आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र एवं इकरारनामा की प्रति प्रस्तुत की है जिसके तहत भूमि विक्रय के उपरांत आवेदकगणों के पास शेष भूमि उपलब्ध है उक्त आश्य का शपथपत्र आवेदक क्र. 2 एवं 3 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों के विचार उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.15 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.16 निरस्त किया जाता है तथा आवेदकगणों द्वारा चाही गई भूमि विक्रय की अनुमति में से आवेदक क्र.2 एव 3 के नाम उल्लेखित भूमि को छोड़कर आवेदक क्र.1 एवं 2 धनीराम एवं पन्ना के नाम उल्लेखित ख.नं. की कुल भूमि रकवा 3.1हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विकय–विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विकय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं – उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विकय विलेख संपादित करें। सदस्य	